अतिआवश्यक

सं0सं0–11 / आ0प्र0को0(विविद्य)05 / 2012 1011(11)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

डा0 शशि रानी,
निदेशक प्रमुख (आपदा)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक, सभी चिकित्सा संस्थान, पटना
सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।

पटना / दिनांक– 25/10/2016

विषय :– **आसन्न दीपावली, छठ पूजा एवं कार्तिक पूर्णिमा पर्व के मद्देनजर संभावित दुर्घटनाओ में हताहतों के उपचार हेतु राज्य के अस्पतालों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि दीपावली, छठ पूजा एवं कार्तिक पूर्णिमा स्नान बिहार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है। दीपावली के समय असावधानी पूर्वक पटाखा जलाने अथवा आतिशबाजी से जलने की घटनाएँ होती हैं, वैसे ही छठ पर्व के दौरान तीन दिनो तक एवं कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दिन नदियों / तालाबों के घाटों पर श्रद्वालुओ एवं छठ वर्तियो की भारी संख्या में भीड़ जमा होती है। ऐसी स्थिति में वहाँ भी संभावित दूर्घटनाओं की आंशका प्रबल रहतीं है।

उक्त के मद्देनजर दीपावली, छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा स्नान के समय संभावित दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को उपचार उपलब्ध कराने हेतु निम्न आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित की जायः–

(क) चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल / चिकित्सा संस्थान हेतुः–

1. सभी चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल / चिकित्सा संस्थान में अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा / पूर्व से कार्यरत नियंत्रण कक्ष को उपरोक्त हेतु आवश्यकतानुसार सुदृढ़ किया जायेगा। जिसमें तीन पालियों में सह प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक स्तर के अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की एक टीम कार्यरत रहेंगी। अकास्मिकता के मद्देनजर वरीय चिकित्सकों की उपस्थिति सुंनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए एक रोस्टर तैयार कर ली जाए।
2. सभी चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पतालों / चिकित्सा संस्थानों में आपातकालीन स्थिति से निबटने हेतु अतिरिक्त 20 (बीस) बेड के एक अलग कक्ष की व्यवस्था कर ली जाए, जिसका उपयोग आकस्मिकता के स्थिति में ही किया जा सकेगा साथ ही सभी जीवन रक्षक दवाओं / उपकरणों, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर एवं ट्राली की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें साथ ही बर्न विभाग (Burn Department) को सक्रिय करते हुए विभागाध्यक्ष, वरीय चिकित्सा पदाधिकरियों एवं पाराकर्मियों को उक्त के संबंध में विशेष सतर्कता बर्तने हेतु निर्देशित किये जाये।
3. विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों यथा मेडिसिन, अर्थोपेडिक्स सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी पेडियट्रिक्स के वरीय चिकित्सकों की आकस्मिकता हेतु तीन टीमें गठित की जाय, जो अल्प सूचना मे घ्स्थल पर पहुचेंगें, इनके मोबाईल नम्बर कंट्रोलरूम में उपल्ब्ध रहेंगें। इसी प्रकार पारा मेडिकल कर्मीयों का टीम गठित कर ली जाय।
4. त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सभी चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पतालों / चिकित्सा संस्थानों के वरीय पदाधिकारी प्रशासनिक सहयोग हेतु जिला प्रशासन से सम्पर्क बनाए रखेंगें।

D:\Old_Pc_Data E 2015\Deepawali-2013\Deepawali-letter.doc

(ख) जिला स्तरीय सदर /अनुमंडलीय अस्पतालों हेंतुः–

5. सभी जिला स्तरीय अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में एक नियंत्रण कक्ष संचालित किया जायगा, जिसमें दो वरीय चिकित्सक एवं चार पारामेडिकल कर्मीयों रोस्टर तैयार कर प्रतिनियुक्ति संबंधित सिविल सर्जन करेंगें।
6. जिला स्तर पर सदर अस्पतालों/अनुमंडलीय अस्पतालो में आपातकालीन स्थिति के लिए अतिरिक्त छः बेडो की व्यवस्था एक अलग कक्ष में किया जायेगा, जिसका उपयोग आकस्मिकता की स्थिति मे किया जा सकेगा साथ ही आपात कालीन स्थिति के निपटने हेतु सभी आवश्यक दवाओं एवं उपकरणों की व्यवस्था अलग से उपलब्ध रखी जाय तथा बर्न विभाग (Burn Department) को सक्रिय करते हुए विभागाध्यक्ष, वरीय चिकित्सा पदाधिकरियों एवं पाराकर्मियों को उक्त के संबंध में विशेष सतर्कता बर्तने हेतु निर्देशित किये जाये।
7. कडिंका "क" के पारा 3 एवं 4 के अनुरूप भी तैयारी कर ली जाय।
8. नदियों /तालाबों के घाटों या ऐसे स्थान जहॉ ये समारोह आयोजित होते हो उस स्थल के नजदीक अस्थायी चिकित्सा शिविर लगाने हेतु जगह पूर्व से ही चिन्हित कर ली जाय।
9. शिविर में आश्वयक जीवन रक्षक दवाओं एवं उपकरणो सहित एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाय।
10. चलंत चिकित्सा दल /स्थायी चिकित्सा शिविर तथा संबंद्व अस्पताल/प्राथिमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों/विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं पारामेडिकल कर्मियों की पालीवार प्रतिनियुक्ति की सूची पूर्व से तैयार कर ली जाय।
11. राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के द्वारा जिलों में प्रतिनियुक्त किए गये NDRF/SDRF दल से समनव्य स्थापित कर कार्यो का कार्यानवयन सुनिश्चित किया जाय।
12. आपात स्थिति में अनवरत कार्यरत "राज्य नियंत्रण कक्ष" राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के कॉल सेंटर दूरभाष संख्या–104 पर किसी भी प्रकार की सूचना या जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।

उपरोक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

25.10.16

(डा0 शशि रानी)
निदेशक प्रमुख (आपदा)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1011 (11) पटना, दिनांक 25/10/2016

प्रतिलिपिः– माननीय उपाध्यक्ष, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पंत भवन बिहार पटना को सूचनार्थ
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायाक को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सभी संबंधित को ई मेल संप्रेषित करने एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेश के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.10.16

(डा0 शशि रानी)
निदेशक प्रमुख (आपदा)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।